प्रेस विज्ञप्ति सॉवरन स्वर्ण बांड 2016-17 श्रृंखला-IV

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सावरेन स्वर्ण बांड 2016-17 की श्रृंखला-IV जारी करने का निर्णय लिया है। बांड के लिए आवेदन 27 फरवरी 2017 से 03 मार्च, 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बांड 17 मार्च, 2017 को जारी किए जाएंगे। इन बांडों की बिक्री बैंक, स्टॉक हॉल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस एच सी आई एल) नामोदिष्ट डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की जाएगी।

क्रम सं.	मद	ब्यौरे
1	उत्पाद का नाम	सॉवरन स्वर्ण बांड 2016-17 श्रृंखला-IV
2	निर्गमन	भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।
3	पात्रता	ये बांड व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों, न्यासों, विश्वविद्यालयों, पूर्त
		संस्थाओं सहित निवासी भारतीय व्यष्टियों को ही बिक्री किए जाएंगे।
4	मूल्यवर्ग	इन बांडों को 1 ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के
		मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
5	अवधि	बांड की अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष से इससे हटने का विकल्प होगा
		जिसका प्रयोग ब्याज संदाय तारीखों पर किया जा सकेगा।
6	न्यूनतम मात्रा	न्यूनतम अनुमत निवेश 1 ग्राम सोना होगा।
7	अधिकतम सीमा	किसी व्यष्टि द्वारा अभिदत्त अधिकतम मात्रा 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति
		वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) से अधिक नहीं होगी। इस आशय की स्वतः घोषणा
		प्राप्त की जाएगी।
8	संयुक्त धारक	संयुक्त धारिता की स्थिति में, 500 ग्राम की निवेश सीमा प्रथम आवेदक पर
		ही लागू होगी।
9	निर्गमन मूल्य	बांड का मूल्य अभिदान की अवधि से पहले इंडियन बुलियन एंड जूलर्स
		एसोसिएशन लि. द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने की पिछले सप्ताह
		(सोमवार- शुक्रवार) के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय
		रुपए में तय किया जाएगा। स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से 50
		रु. प्रति ग्राम कम होगा।
10	भूगतान का विकल्प	बांडों के लिए भुगतान इलेक्ट्रानिक बैंकिंग, नकद भुगतान (अधिकतम
		20,000 रु.) /चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए होगा।
11	निर्गमन का प्रकार	स्वर्ण बांड जीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्टाक के रूप
		में जारी किए जाएंगे। निवेशकों को स्टाक/होल्डिंग प्रमाणपत्र जारी किया
		जाएगा। ये बांड डिमेट रूप में रूपांतरण हेतु पात्र होंगे।
12	उन्मोचन मूल्य	उन्मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 की शुद्धता वाले सोने के
		समापन मूल्य के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के साधारण औसत के
		आधार पर भारतीय रूपए में होगा।

13	बिक्री के चैनल	बांड यथासूचित के अनुसार बैंकों, स्टॉक हाल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया
		लिमिटेड (एस एच सी आई एल) और नामित डाक घरों और नामित स्टॉक
		एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे
		स्टॉक एक्सचेंज से सीधे या एजेंटों के जरिए बेचे जाएंगे।
14	ब्याज दर	निवेशकों को निवेश के आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की नियत
		दर पर अर्धवार्षिक रूप से देकर प्रतिपूरित किया जाएगा।
15	संपार्श्विक	बांडों को ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य
		के प्रति ऋण का अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर
		अधिदेशित साधारण सर्वरण ऋण के बराबर निहित किया जाएगा।
16	केवाईसी प्रलेखन	अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंड वही होंगे जो वास्तविक सोने की
		खरीद के हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड/पैन या
		टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे।
17	कर उपचार	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार सवर्ण बांड
		पर ब्याज करादेय होगा। किसी व्यक्ति को एसजीबी के उन्मोचन से प्राप्त
		पूंजी लाभ कर पर छूट दी गई है बांड अंतरित किए जाने पर किसी व्यक्ति
		को मिलने वाले दीर्घावधिक पूंजी लाओं के लिए सूचीकरण लाभ दिए जाएंगे।
18	व्यापार योग्यता	बांड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित, जारी होने की तारीख से 14 दिन
		के भीतर स्टाक एक्सचेंजों में व्यापार योग्य होंगे।
19	एसएलआर पात्रता	ये बांड सांविधिक नकदी अनुपात के लिए पात्र होंगे।
20	कमिशन	प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा बांड के वितरण के लिए कमिशन कुल अभिदान
		राशि के 1 प्रतिशत की दर पर अदा किया जाएगा। और प्राप्तकर्ता कार्यालय
		उनके द्वारा किए गए कारोबार के लिए एजेंटों अथवा उप एजेंटों के साथ
		प्राप्त कमीशन का 50 प्रतिशत भाग साझा करेंगे।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग बजट प्रभाग नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली- 110001 दिनांक 23 फरवरी, 2017